झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

(पत्र पेटेंट अपीलीय क्षेत्राधिकार)

<u>एल.पी.ए. संख्या - 510/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास, रांची।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, रांची।

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, चतरा।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा। ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1.रोहित कुमार गुप्ता, पिता - रामजीवन साह, निवासी - किशनपुर, डाकघर+थाना - मोर्गोमुंडा (मधुपुर), जिला-देवघर, राज्य-झारखंड।

2. प्रभाकर मिश्रा, पिता - परमेश्वर प्रसाद मिश्रा, निवासी - मकान नंबर 6, वार्ड नंबर 07, हाई स्कूल के पास, मारगोमुंडा, डाकघर+थाना - मार्गोमुंडा, जिला देवघर, राज्य-झारखंड

..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 513/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, रांची ।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, रांची।

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, दुमका

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

महेश कुमार, पिता - लालजी महतो, निवासी - कोडवे, हज़ारीबाग़, डाकघर - गैरीकलां, थाना - केरेडारी, राज्य - झारखंड ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 521/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, रांची ।

2. प्राथमिक शिक्षा निदेशक, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, रांची।

3. उप शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1. रोहित कुमार मेहता, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता-हेमलाल मेहता, निवासी-ग्राम बेहराडीह, डाकघर-बेहराडीह, थाना-डोमचांच, जिला-कोडरमा

2. विजय कुमार, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता-जानकी महतो, निवासी- ग्राम-बसोबार, डाकघर+थाना - दारू, जिला-हजारीबाग

3. तारकिशोर विश्वकर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता-सोमर बाढ़ी, निवासी-ग्राम-डबरी, डाकघर - डबरी, थाना-बिरनी, जिला- गिरिडीह

4. नदीम अख्तर, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता - नसीम अख्तर, निवासी - ग्राम मनकडीहा, डाकघर - गादी भरकट्ठा, थाना - बिरनी, जिला-गिरिडीह ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 522/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, रांची।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, हजारीबाग

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग

5. जिला शिक्षा अधिकारी, हजारीबाग। ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

संजय कुमार सिंह, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता - सरयू सिंह, निवासी - खतियौन, डाकघर - देवचंदा एवं थाना - बरही, जिला - हज़ारीबाग़ ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 527/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास, रांची ।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, रांची।

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, दुमका।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका। ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

झलबल झा, पिता - मेघनाथ झा, स्थायी निवासी - ग्राम - रांगा, डाकघर+थाना - मोहनपुर, जिला - देवघर, राज्य - झारखंड और वर्तमान निवासी - प्रसिद्ध निवास, इंडियन रांची प्रेस के पास, बिलासी, टाउन - देवघर, डाकघर+थाना एवं जिला-देवघर, राज्य - झारखंड। ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 528/2023</u>

1. झारखंड राज्य।

2. सचिव, कार्मिक, राजभाषा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (शिक्षा निदेशालय), कार्मिक, राजभाषा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

4. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना समिति, रामगढ़।

5. जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़।

6. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना समिति, पाकुड़।

7. जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़।

8. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना समिति, हजारीबाग।

9. जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग।

10. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना समिति, कोडरमा।

11. जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा।

12. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना समिति, गोड्डा।

13. जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा।

14. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना समिति, साहेबगंज।

15. जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज।

16. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना समिति, जामताड़ा।

17. जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा।

18. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्थापना समिति, चतरा।

19. जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा। ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1. प्रकाश प्रसाद गोराईं, उम्र लगभग 49 वर्ष, पिता-गोपाल गोराईं, निवासी- ग्राम-हेठबरगा, डाकघर-बारलंगा, थाना-बारलंगा, जिला-रामगढ़, झारखंड (829110)

2. प्रकाश ठाकुर, उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता - नंद लाल ठाकुर, निवासी - ग्राम औरंदीह, डाकघर - संग्रामपुर, थाना - बैरंगा, जिला - रामगढ़, झारखंड (829110)

3. नागेश्वर महथा, उम्र लगभग 44 वर्ष, पिता - जगदीश महतो, निवासी - ग्राम पबरा, डाकघर - पबरा, थाना - कटकमसांडी, जिला -हजारीबाग, झारखंड (825319)

4. सुभाष कुमार महतो, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता - महेंद्र नाथ महतो, निवासी - ग्राम - मुरूडीह, डाकघर - संग्रामपुर, थाना - गोला, जिला-रामगढ़, झारखण्ड (829110)

5. अब्दुल कलाम काजी, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता - मो. इदरीश काजी, निवासी - दलदली, डाकघर - बरवा पूर्वी, थाना - गोविंदपुर, जिला-धनबाद, झारखंड (828205)

6. शिव कुमार रजक, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता-स्वर्गीय अकलू रजक, निवासी-ग्राम बेजराबाद, डाकघर-चरक, थाना-टुंडी, जिला - धनबाद, झारखंड (828109)

7. दीपक कुमार सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता-स्व. मथुरा सिंह, निवासी - ग्राम - चुंगलो, डाकघर - गादी श्रीरामपुर, थाना - गिरिडीह, जिला - गिरिडीह, झारखंड (815302)

8. अजय कुमार मंडल, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता - शिव शंकर मंडल, निवासी - ग्राम - गुनघासा, डाकघर - गुनघासा, थाना - हरिहरपुर, गोमो, जिला - धनबाद, झारखंड

..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 532/2023</u>

1. झारखंड राज्य मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, पोस्ट ऑफिस-धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगन्नाथपुर, जिला-रांची

2. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, झारखंड सरकार, एमडीआई बिल्डिंग, धुर्वा, पोस्ट ऑफिस-धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगन्नाथपुर, जिला-रांची

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग, सरकार। झारखंड के, एमडीआई बिल्डिंग, धुर्वा, पोधुर्वा, पीएस-जगन्नाथपुर, जिला-रांची

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा, डाकघर+थाना एवं जिला चतरा

5. जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग, डाकघर+थाना एवं जिला हजारीबाग

6. जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़, डाकघर+थाना एवं जिला रामगढ़

7. जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा, डाकघर+थाना एवं जिला कोडरमा

8. जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह डाकघर+थाना एवं जिला गिरिडीह

9. जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो, डाकघर+थाना एवं जिला बोकारो

10. जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद, डाकघर+थाना एवं जिला धनबाद

11. जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका, डाकघर+थाना एवं जिला दुमका

12. जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर, डाकघर+थाना एवं जिला देवघर

13. जिला शिक्षा अधीक्षक, जामताड़ा, डाकघर+थाना एवं जिला जामताड़ा

14. जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा, डाकघर+थाना और जिला गोड्डा

15. जिला शिक्षा अधीक्षक, साहिबगंज, डाकघर+थाना और जिला साहिबगंज

16. जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़, डाकघर+थाना और जिला पाकुड़ ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1. सुकर ठाकुर, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता- मल्लू ठाकुर, निवासी- ग्राम बंडासिंगा, डाकघर- बेलकप्पी, थाना- गोरहर, जिला-हजारीबाग, राज्य-झारखंड

2. मो. रेयाज अंसारी, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता- - मुस्तफा, निवासी - ग्राम+डाकघर - शेलाडीह, थाना - गोरहर, जिला-हजारीबाग, राज्य-झारखंड

3. मुकेश कुमार, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता - श्री लक्ष्मण मोदी, निवासी - ग्राम - बंडासिंगा, डाकघर - बेलकप्पी, थाना - गोरहर, जिला-हजारीबाग, राज्य-झारखंड

4. राजेश ठाकुर, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता - श्री धरम ठाकुर, निवासी ग्राम व डाकघर - बरवां, थाना - बरकट्ठा, जिला-हजारीबाग, राज्य-झारखंड

5. नकुल महतो, उम्र लगभग 40 वर्ष वर्ष, पिता-श्री मटुक महतो, निवासी ग्राम जमनीडीह, डाकघर+थाना-बड़कागांव, जिला-हजारीबाग, राज्य-झारखंड

6. राम भरोस साहू, उम्र लगभग 57 वर्ष, पिता-प्रयाग साहू सिंह, निवासी-ग्राम-असरहिया , डाकघर - करनी, थाना - इटखोरी, जिला-चतरा, राज्य-झारखंड

7. कृष्णा यादव, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता - श्री डोमन यादव, निवासी ग्राम कोनी, डाकघर+थाना - इटखोरी, जिला-चतरा, राज्य- झारखण्ड

8. विजय प्रसाद, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता-श्री बासुदेव प्रसाद, निवासी ग्राम+डाकघर- शेल्हारा कला, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग, राज्य-झारखण्ड ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 533/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची ।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (शिक्षा निदेशालय), मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापित समिति, धनबाद

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

5. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापित समिति, बोकारो

6. जिला शिक्षा अधीक्षक, बोकारो

7. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापित समिति, रामगढ़

8. जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1. नागेश्वर प्रसाद सिंह, उम्र लगभग 51 वर्ष, पिता - राम किशुन सिंह, निवासी - ग्राम - बेहरा कुदर, डाकघर - झगराही, थाना - बरोरा, जिला-धनबाद, राज्य झारखंड

2. भुवनेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 52 वर्ष, पिता - - बहादुर प्रसाद, निवासी ग्राम बाघमारा बस्ती, डाकघर - बाघमारा बाजार, थाना - बाघमारा, जिला-धनबाद

3. नारायण चबदरा मंडल, उम्र लगभग 51 वर्ष, पिता - सहदेव मंडल, निवासी - ग्राम - कोराडीह, डाकघर - प्रधानखंता , थाना - तोपचांची, जिला-धनबाद। ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 534/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, रांची

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, रांची

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, दुमका

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, दुमका

5. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, धनबाद

6. जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

7. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, रामगढ़

8. जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़

9. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, हजारीबाग

10. जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1. रामू प्रसाद यादव, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता - बासुदेव प्रसाद यादव, निवासी - मसमोहना, डाकघर - मसमोहना, थाना - नवलशाही, जिला-कोडरमा, राज्य - झारखंड

2. शंकर कुमार यादव, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता - रमन यादव, निवासी - मसमोहना, डाकघर - मसमोहना, थाना - नवलशाही, जिला-कोडरमा, राज्य - झारखंड

3. कोशल कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता - देवब्रत मंडल, निवासी बारगो, डाकघर - बारगो, थाना-जरमुंडी, जिला-दुमका, राज्य-झारखंड

4. धरम दास, उम्र करीब 42 वर्ष, पिता-रमण दास, निवासी-सेलहारा, खुर्द, डाकघर-सेलहरा कला। थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग, राज्य-झारखंड

5. मुमताज अंसारी, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता-मो. अशरफ अंसारी, निवासी-नवा आहार, डाकघर-बोरिया, थाना-देवरी, जिला-गिरिडीह, राज्य-झारखंड

6. मो. इमरान अंसारी, उम्र लगभग 39 वर्ष, पिता - मो सिद्दीक अली, निवासी - कदमा, डाकघर - कदमा, थाना - काठीकुंड, जिला-दुमका, राज्य-झारखंड

7. रंजीत कुमार बरनवाल, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता - कामेश्वर बरनवाल, निवासी - बिचगढ़ा, डाकघर+थाना - सारवां, जिला-देवघर, राज्य-झारखंड।

8. राजेश कुमार, उम्र लगभग 42 वर्ष, पिता-शंभू यादव, निवासी-घाघरी, डाकघर-रौंधिया, थाना-सरैयाहाट, जिला-दुमका, राज्य-झारखंड

9. लक्ष्मी कांत महतो, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता-गोवर्धन महतो, निवासी - ग्राम-पिपराडीह, डाकघर - शिखरजी, थाना - मधुबन, जिला-गिरिडीह, राज्य - झारखंड।

..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 536/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास, रांची।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, रांची।

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, चतरा।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा। ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1. कृष्ण कुमार, पिता नंद किशोर साहू, निवासी बीना मोहल्ला, डाकघर एवं थाना चतरा, राज्य-झारखंड

2. हेमराज कुमार ठाकुर, पिता स्वर्गीय बढ़न ठाकुर, निवासी ग्राम-तुलबुल, पोटुलबुल, थाना-राजपुर, जिला-चतरा, राज्य-झारखंड ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 537/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, रांची, डाकघर - धुर्वा, थाना - जगन्नाथपुर, जिला-रांची

2. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना -धुर्वा, जिला-रांची

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना - धुर्वा, जिला-रांची

4. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, डाकघर+थाना एवं जिला-हजारीबाग

5. जिला शिक्षा अधीक्षक, डाकघर+थाना एवं जिला - हजारीबाग

..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

सहदेव यादव, पिता लालो यादव, निवासी ग्राम-गैड़ा, डाकघर-गुमोबरवाडीह, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा, राज्य-झारखंड ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 539/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास, रांची ।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास, झारखंड सरकार, रांची।

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, धनबाद।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद। ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

निपलाल मंडल, पिता - किशोरी मंडल, निवासी ग्राम - भंडारो, देवघर, डाकघर - मारगोमुंडा, थाना - मधुपुर, राज्य-झारखंड ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 542/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, पीओ-धुर्वा, पीएस-जगन्नाथपुर, रांची

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर - धुर्वा, थाना - जगन्नाथपुर, रांची

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, गिरिडीह डाकघर+थाना - गिरिडीह

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह, डाकघर+थाना -गिरिडीह

5. जिला शिक्षा अधिकारी, गिरिडीह, डाकघर+थाना -गिरिडीह

6. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, देवघर, डाकघर+थाना -देवघर

7. शिक्षा अधीक्षक, देवघर, डाकघर+थाना - देवघर

8. जिला शिक्षा अधिकारी, देवघर, डाकघर+थाना - देवघर ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1.सीताराम महतो, उम्र लगभग 51 वर्ष, पिता-रति महतो, निवासी ग्राम-बिरानी, टोला मानपुर तालाब, डाकघर-बिरानी, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो

2. धनेश्वर महतो, उम्र लगभग 44 वर्ष, पिता-धूजा महतो, निवासी-ग्रामगुंजरडीह, डाकघर+थाना-गुंजरडीह, जिला-बोकारो ..... **प्रतिवादी**

साथ

<u>एल.पी.ए. संख्या - 543/2023</u>

1. झारखंड राज्य, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची ।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

3. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला शिक्षा स्थापना समिति, हजारीबाग।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर। ..... **अपीलकर्ता**

-बनाम-

1. अशोक कुमार पंडित, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता-प्रयाग पंडित, निवासी ग्राम-बरकट्ठा, डाकघर-झिंगीबरई, थाना-बरकट्ठा, जिला-हजारीबाग।

2. शंकर प्रसाद, उम्र 38 वर्ष, पिता-बोधी महतो, निवासी-ग्राम-बरकट्ठा, डाकघर-पेसरा, थाना-बरकट्ठा, जिला-हजारीबाग।

3. शिबू कुमार महतो, उम्र लगभग 39 वर्ष, पिता-नेमचंद महतो, निवासी ग्राम-कहतो टोला लइया, डाकघर-लैया, थाना-मांडू, जिला-हजारीबाग ..... **प्रतिवादी**

कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

अपीलकर्ता-राज्य की ओर से: श्री गौरव राज, ए.सी. से ए.ए.जी.-II

प्रतिवादियों की ओर से: श्री अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री तेजस्विता सफाल्टा, अधिवक्ता

[एल.पी.ए. संख्या 510, 513, 521, 522, 527, 528, 532, 533, 534. 536, 537, 539, 542 और 543/2023]

सुश्री सरिता गुप्ता, अधिवक्ता

श्री अभिजीत कुमार, अधिवक्ता

[एल.पी.ए. संख्या 534/2023]

निर्णय

सी.ए.वी.- 1 दिसंबर 2023 घोषित - 31 जनवरी 2024

प्रति, अनुभा रावत चौधरी, जे.

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. 16 फरवरी 2022 को रिट याचिका (एस) संख्या 2378/2019 (पारस नाथ मंडल बनाम झारखंड राज्य) और अन्य मामलों में पारित सामान्य निर्णय के तहत 77 रिट याचिकाओं के एक बैच का निपटारा किया गया। वर्तमान 14 अपीलें निम्नलिखित रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुई हैं जो रिट याचिकाओं के उपरोक्त बैच का भी हिस्सा थीं।

3. वर्तमान एल.पी.ए. और संबंधित रिट याचिकाओं की केस संख्या निम्नानुसार है:

i. एल.पी.ए. संख्या 510/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 4333/2019 से उत्पन्न
ii. एल.पी.ए. संख्या 513/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2710/2019 से उत्पन्न
iii. एल.पी.ए. संख्या 521/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2660/2019 से उत्पन्न
iv. एल.पी.ए. संख्या 522/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2678/2019 से उत्पन्न
v. एल.पी.ए. संख्या 527/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 4383/2019 से उत्पन्न
vi. एल.पी.ए. संख्या 528/2023 जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3136/2019 से उत्पन्न
vii. एल.पी.ए. संख्या 532/2023 जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2867/2019 से उत्पन्न
viii. एल.पी.ए. संख्या 533/2023 जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2879/2019 से उत्पन्न
ix. एल.पी.ए. संख्या 534/2023 जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3106/2019 से उत्पन्न
x. एल.पी.ए. संख्या 536/2023 जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 5120/2019 से उत्पन्न
xi. एल.पी.ए. संख्या 537/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 6140/2019 से उत्पन्न

xii. एल.पी.ए. संख्या 539/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3766/2019 से उत्पन्न

xiii. एल.पी.ए. संख्या 542/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2871/2019 से उत्पन्न

xiv. एल.पी.ए. संख्या 543/2023, जो डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2577/2019 से उत्पन्न

4. विभिन्न रिट याचिकाओं में मांगी गई राहतें निम्नानुसार हैं: -

I. एल.पी.ए. संख्या 510/2023 डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 4333/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

> "1. इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश/आदेश/रिट जारी करे कि वे इंटर प्रशिक्षित शिक्षक 1 से 5 (गैर-पैरा) की शेष रिक्त सीटों के लिए गैर-पैरा श्रेणी के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन और उम्मीदवारी पर विचार करें और शेष रिक्त सीटों के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर आगे विचार करें और यदि याचिकाकर्ता पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाए क्योंकि उन्होंने वर्ष 2015 में अपने संबंधित जिलों में उपरोक्त रिक्तियों के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था।"

II. एल.पी.ए. संख्या 513/2023 डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2710/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

> "1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि प्रतिवादी अधिकारियों को गैर-पैरा श्रेणी के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर विचार करने के लिए आवश्यक निर्देश/आदेश/रिट जारी की जाए तथा याचिकाकर्ता को गैर-पैरा शिक्षक श्रेणी के अंतर्गत अंतर-प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति 1 से 5 (2015-16) के चयन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित होने और भाग लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनका नाम 15.05.19 को प्रकाशित दुमका जिले के लिए गैर-पैरा शिक्षक नियुक्ति 1 से 5 (2015-16) की अनंतिम मेधा सूची के अंतर्गत क्रम संख्या 85 पर आया है।"

III. एल.पी.ए. संख्या 521/2023 डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2660/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

> "क. प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची (अनुलग्नक-1) को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं की

तुलना में कम अंक वाले उम्मीदवारों को पैरा टीचर श्रेणी के तहत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक वर्ग-1 से 5 के पद पर चयन के लिए 03.06.2019 को आयोजित होने वाली काउंसलिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया है और याचिकाकर्ताओं के नाम, जिनके पास उक्त उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक हैं, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

और/या

ख. प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे पैरा श्रेणी के अंतर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक वर्ग-1 से 5 के पद पर चयन के लिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ताओं के नामों सहित एक नई मेरिट सूची प्रकाशित करें, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने हजारीबाग के विभिन्न जिलों के लिए 31.05.2019 को प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची में चयनित व्यक्तियों से उच्च अंक प्राप्त किए हैं।

IV. एल.पी.ए. संख्या 522/2023 डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2678/2019 से उत्पन्न हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"1. याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध करता है, जिसमें संबंधित प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे और उसकी जॉइनिंग स्वीकार करे क्योंकि शिक्षक के पद पर उसने अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उसने याचिकाकर्ता के मामले में भेदभाव किया है और वह अन्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे रहा है जिन्होंने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं और उसका नाम डेटा सूची में है, इसलिए वह काउंसलिंग में भाग लेने का हकदार है, लेकिन प्रतिवादियों ने इसकी अनुमति नहीं दी, जो पूरी तरह से अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमानी है, क्योंकि इंटर प्रशिक्षित शिक्षक (हिंदी) के पदों को भरने के लिए विज्ञापन 01/2015 के अनुसरण में इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद को भरने के लिए विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था और विभिन्न जिलों में भी प्रकाशित हुआ था और याचिकाकर्ता ने रिक्तियों के अनुसरण में आवेदन किया था क्योंकि उसके पास इंटर प्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षक के पद के लिए सभी अपेक्षित योग्यताएं थीं। पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) आयोजित की गई थी और उन्हें सफल घोषित किया गया था और उन्होंने शिक्षक के पद के लिए चयन के लिए योग्यता अंक प्राप्त किए थे और तदनुसार उनका नाम डेटाबेस सूची में है, लेकिन उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था, जो शिक्षक के पद पर शामिल होने का प्रारंभिक चरण है, लेकिन प्राधिकरण ने नियमों का पालन किए बिना विज्ञापन को देखे बिना याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी और याचिकाकर्ता के मामले

पर काउंसलिंग और पद पर शामिल होने के लिए विचार नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बहुत अधिक अंक प्राप्त किए, उनका नाम हजारीबाग जिले में डेटाबेस सूची में दिखाई दिया, इसलिए संबंधित प्रतिवादियों की कार्रवाई अत्यधिक भेदभावपूर्ण, मनमानी और दुर्भावनापूर्ण है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 पर आधारित है, इसलिए संबंधित प्रतिवादियों की कार्रवाई नियम, कानून के खिलाफ है और कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, इसलिए याचिकाकर्ता आपके अनुसार उचित रिट/आदेश/निर्देश के लिए प्रार्थना करता है। माननीय न्यायाधीश याचिकाकर्ता के साथ न्याय करने के लिए इसे उपयुक्त और उचित समझें।"

V. एल.पी.ए. संख्या 527/2023 डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 4383/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से अनुरोध करता है कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश/आदेश/रिट जारी करे कि वे गैर पैरा श्रेणी के अंतर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक 1 से 5 (गैर पैरा) की शेष रिक्त सीटों के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन और उम्मीदवारी पर विचार करें और शेष रिक्त सीटों के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें और यदि याचिकाकर्ता पात्र पाया जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए क्योंकि उसने वर्ष 2015 में दुमका जिले में उपरोक्त रिक्तियों के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था।"

VI. एल.पी.ए. संख्या 528/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3136/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"**क.** प्रतिवादियों को उचित निर्देश जारी करने के लिए, जिसमें वे कारण बताएं कि क्यों और किन परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं को विभिन्न जिलों में अलग-अलग तिथियों पर निर्धारित काउंसलिंग के लिए योग्य दिखाया गया था, लेकिन उन्हें पाकुड़, हजारीबाग और रामगढ़ जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापनों के संबंध में "गैर-पैरा श्रेणी" में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।

ख. यह माना और घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता पारा शिक्षक होने के बावजूद कक्षा 1 से 5 तक के सहायक शिक्षक के पद पर "गैर पारा" श्रेणी में नियुक्ति के हकदार हैं, बशर्ते कि याचिकाकर्ता झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (अद्यतित संशोधित) के तहत निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हों।

ग. प्रतिवादियों को उचित निर्देश जारी करने के लिए कि वे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करें क्योंकि याचिकाकर्ता पात्र होने के नाते पाकुड़, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें संबंधित जिलों में काउंसलिंग के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन उन्हें इस आधार पर काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई कि याचिकाकर्ता एक पैरा शिक्षक होने के नाते केवल पैरा श्रेणी में विचार किया जा सकता है और गैर-पैरा श्रेणी में नहीं, जबकि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने एल.पी.ए. संख्या 186/2017 और एल.पी.ए. संख्या 199/2017 में इस मुद्दे का निपटारा किया है और इसके अलावा गैर-पैरा श्रेणी के उम्मीदवार जिन्हें अन्य जिलों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया था, उन्हें अब एल.पी.ए. में दिए गए आदेश के आलोक में पारित रिट कोर्ट के आदेश के आलोक में फिर से शामिल किया गया है। संख्या 186/2017 और एल.पी.ए. संख्या 199/2017।"

VII. एल.पी.ए. संख्या 532/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 2867/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"**क.** उचित रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश और परमादेश की प्रकृति की रिट जारी करने के लिए, जिसमें प्रतिवादियों को आदेश दिया गया है कि वे इस माननीय न्यायालय के दिनांक 02.02.2017 के आदेश के अनुसरण में डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 19/2016 (अनुलग्नक-6) में अन्य सदृश रिट याचिकाओं के साथ अंतिम विज्ञापित रिक्तियों तक इंटर/स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी रखें, जिसकी पुष्टि माननीय खंडपीठ ने एल.पी.ए. में दिनांक 11.05.2018 के आदेश के माध्यम से की है। संख्या 168/2017 (अनुलग्नक-7) में स्पष्ट निर्देश है कि दिनांक 02.02.2017 के आदेश के पैरा 19 एवं 20 में स्पष्ट निर्देश है कि शेष विज्ञापित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु एक और काउंसलिंग आयोजित की जाए तथा काउंसलिंग एक दिन से अधिक समय तक जारी रह सकती है, किन्तु पुनः अधिकारियों ने मनमाने ढंग से एक दिन की काउंसलिंग करने के पश्चात चयन प्रक्रिया रोक दी है, जबकि विज्ञापित रिक्तियां अभी भी रिक्त हैं।

ख. प्रतिवादियों को उचित निर्देश जारी करने के लिए कि वे पैरा शिक्षकों को प्राथमिकता दें जो मेरिट सूची में ऊपर हैं और उन्हें शिक्षण का अनुभव भी है, लेकिन अधिकारी गैर पैरा उम्मीदवारों की मेरिट से नीचे के उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं।

ग. प्रतिवादियों को इंटरमीडिएट/स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की मौजूदा रिक्ति तक नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने तथा चयन की लंबी प्रक्रिया को ध्यान में

रखते हुए शेष सीटों को केवल याचिकाकर्ताओं से भरने के लिए उचित निर्देश जारी करने के लिए ताकि माननीय न्यायालय के निर्देश का सही अर्थों में पालन किया जा सके।

VIII. एल.पी.ए. संख्या 533/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 2879/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"1. इस रिट आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने माननीय न्यायालय से उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है, जिसमें संबंधित प्रतिवादियों को कारण बताते हुए यह बताया जाए कि क्यों और किस परिस्थिति में याचिकाकर्ताओं, जो पैरा शिक्षक हैं, की पैरा श्रेणी में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग नहीं ली गई है, जिन्होंने संबंधित प्रतिवादियों द्वारा जारी विज्ञापनों के संबंध में उच्च योग्यता अंक प्राप्त किए हैं, जबकि कुछ पैरा शिक्षकों की काउंसलिंग ली गई है, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं से कम अंक प्राप्त किए हैं।

और

इसके अलावा, संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए एक उचित रिट/आदेश जारी करने की प्रार्थना की जाती है कि वे उन याचिकाकर्ताओं की काउंसलिंग करें जो पैरा शिक्षक हैं और जिन्होंने पैरा श्रेणी में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित प्रतिवादी द्वारा जारी विज्ञापनों के संबंध में उच्च योग्यता अंक प्राप्त किए हैं, जबकि इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के पद की कई सीटें अभी भी खाली हैं।

और/या

इसके अलावा, संबंधित प्रतिवादियों को उचित रिट/आदेश जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया जाता है, ताकि वे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी कर सकें, क्योंकि याचिकाकर्ता टी.ई.टी उत्तीर्ण हैं और उन्होंने उच्च योग्यता अंक प्राप्त किए हैं और कुछ अन्य पैरा शिक्षकों से सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनकी काउंसलिंग प्रतिवादियों द्वारा पहले ही ली जा चुकी है।

IX. एल.पी.ए. संख्या 534/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3106/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश/आदेश/रिट जारी की जाए, ताकि वे अंतर प्रशिक्षित शिक्षक 1 से 5 (गैर-पैरा) की शेष रिक्त सीटों के लिए गैर-पैरा श्रेणी के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन और उम्मीदवारी पर विचार करें और शेष रिक्त सीटों के लिए याचिकाकर्ताओं की

उम्मीदवारी पर विचार करें और यदि याचिकाकर्ता पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2015 में अपने-अपने जिलों में उक्त रिक्तियों के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था और याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम अंक वाले उम्मीदवारों को बुलाया गया है और काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई है।"

X. एल.पी.ए. संख्या 536/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 5120/2019 से उत्पन्न हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दिनांक 12.12.2023 के अपने हलफनामे में कहा गया है कि वे पारा-शिक्षक हैं और उन्होंने पारा-शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया है।

XI. एल.पी.ए. संख्या 537/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 6140/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"क. ज्ञापन संख्या 1311 दिनांक 15.07.2019 (अनुलग्नक-8) जिला शिक्षा अधीक्षक, हजारीबाग में निहित आदेश को रद्द करने और अलग रखने के लिए जिसके तहत याचिकाकर्ता को एल.पी.ए. संख्या 186/2017 में एल.पी.ए. संख्या 199/2017 के साथ पारित दिनांक 11.05.2018 के निर्णय के विपरीत वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी लाभ से वंचित किया गया है।

ख. अधिसूचना संख्या 662 दिनांक 02.05.2019 (अनुलग्नक-4) को रद्द करने और अलग रखने के लिए जिसके तहत विभाग ने विरोधाभासी खंड डालकर गैर-पारा शिक्षक श्रेणी के तहत विचार किए जाने वाले पैरा शिक्षकों को दिए जाने वाले लाभ को कम करने की कोशिश की है।

ग. 1.06.2019 को प्रकाशित अंतिम मेरिट सूची (अनुलग्नक-9) को रद्द करने के लिए, जिसमें हजारीबाग जिले में काउंसलिंग के लिए गैर-पारा श्रेणी के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें उक्त मेरिट सूची में स्थान मिला है।

घ. संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के सहायक अध्यापकों के पद के लिए काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल करें, क्योंकि याचिकाकर्ता के अंक उन अभ्यर्थियों से अधिक हैं जिनके नाम अंतिम मेरिट सूची में शामिल हैं।

XII. एल.पी.ए. संख्या 539/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3766/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से

प्रार्थना करता है कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश/आदेश/रिट जारी करे, ताकि वे गैर-पारा शिक्षक श्रेणी की रिक्ति के अंतर्गत अंतर-प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति 1 से 5 (2015-16) के चयन के लिए शेष रिक्त सीटों के लिए 06.11.15 के ज्ञापन संख्या 2604 (अनुलग्नक 3 में निहित) के आलोक में सबसे पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करें, क्योंकि उनका नाम धनबाद जिले के लिए गैर-पारा शिक्षक नियुक्ति 1 से 5 (2015-16) की अनंतिम सूची में क्रम संख्या 1923 पर दिखाई दिया है।"

XIII. एल.पी.ए. संख्या 542/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 2871/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"1. याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिसमें संबंधित प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में भाग लेने दें और उनका कार्यभार ग्रहण करने दें, क्योंकि शिक्षक के पद पर उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उन्होंने काउंसलिंग में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले में भेदभाव किया है और वे अन्य अभ्यर्थियों को अनुमति दे रहे हैं, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हैं और उनका नाम मेरिट सूची में है, इसलिए वे काउंसलिंग में भाग लेने के हकदार हैं, लेकिन प्रतिवादियों ने इसकी अनुमति नहीं दी, जो पूरी तरह से अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमानी है, क्योंकि अंतर-प्रशिक्षित शिक्षक के पदों को भरने के लिए विज्ञापन के अनुसरण में (हिंदी विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था और विभिन्न जिलों में भी उनके प्रशिक्षित शिक्षकों के पद को भरने के लिए प्रकाशित हुआ था और याचिकाकर्ताओं ने रिक्तियों के अनुसरण में आवेदन किया था, क्योंकि उनके पास अंतर-प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए सभी अपेक्षित योग्यताएं थीं और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) उत्तीर्ण की गई थी। आयोजित किया गया और उन्हें सफल घोषित किया गया और शिक्षक के पद के लिए चयन के लिए योग्यता अंक प्राप्त किए और तदनुसार उनका नाम मेरिट सूची में है, लेकिन उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया, जो शिक्षक के पद पर शामिल होने का प्रारंभिक चरण है, लेकिन वे नियमों का पालन किए बिना विज्ञापन देखे बिना याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और याचिकाकर्ताओं के मामले पर काउंसलिंग और पद पर शामिल होने के लिए विचार नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बहुत अधिक अंक प्राप्त किए, उनका नाम गिरिडीह और देवघर जिले में मेरिट सूची में दिखाई देता है, इसलिए संबंधित प्रतिवादियों की कार्रवाई अत्यधिक भेदभावपूर्ण, मनमानी

और दुर्भावनापूर्ण है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 पर आधारित है, इसलिए संबंधित प्रतिवादियों की कार्रवाई नियमों, कानून के खिलाफ है और कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, इसलिए याचिकाकर्ता उचित रिट/आदेश/निर्देश के लिए प्रार्थना करते हैं जैसा कि आपका आधिपत्य उचित और उचित समझे याचिकाकर्ताओं को न्याय मिले।"

XIV. एल.पी.ए. संख्या 543/2023 डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 2577/2019 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया:

"1. याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध करते हैं, जिसमें संबंधित प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में भाग लेने दें तथा उनका कार्यभार ग्रहण करने दें, क्योंकि शिक्षक के पद पर उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा उन्होंने काउंसलिंग में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले में भेदभाव किया है तथा वे अन्य अभ्यर्थियों को अनुमति दे रहे हैं, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम अंक प्राप्त किए हैं तथा उनका नाम डेटा सूची में है, इसलिए वे काउंसलिंग में भाग लेने के हकदार हैं, लेकिन प्रतिवादियों ने इसकी अनुमति नहीं दी, जो पूरी तरह से अवैध, दुर्भावनापूर्ण तथा मनमानी है, क्योंकि अंतर्प्रशिक्षित शिक्षक (हिंदी) के पदों को भरने के लिए विज्ञापन 01/2015 के अनुसरण में अंतर्प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों को भरने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तथा विभिन्न जिलों में भी प्रकाशित किया गया था, तथा याचिकाकर्ताओं ने रिक्तियों के अनुसरण में आवेदन किया था, क्योंकि उनके पास अंतर्प्रशिक्षित शिक्षक के पद के लिए सभी अपेक्षित योग्यताएं थीं। तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) आयोजित की गई तथा उन्हें सफल घोषित किया गया तथा उन्होंने शिक्षक पद के लिए चयन हेतु अर्हक अंक प्राप्त किए तथा तदनुसार उनका नाम डाटा बेस सूची में है, लेकिन उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया, जो शिक्षक पद पर नियुक्ति का प्रारंभिक चरण है, लेकिन प्राधिकरण ने नियमों का पालन किए बिना विज्ञापन देखे बिना याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी तथा याचिकाकर्ताओं के मामले पर काउंसलिंग तथा पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया, हालांकि उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में बहुत अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनका नाम हजारीबाग जिले में डाटा बेस सूची में है, इसलिए संबंधित प्रतिवादियों की कार्रवाई अत्यधिक भेदभावपूर्ण, मनमानी तथा दुर्भावनापूर्ण है तथा यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 पर आधारित है, इसलिए संबंधित प्रतिवादियों की

कार्रवाई नियमों, कानून के विरुद्ध है तथा कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है, इसलिए याचिकाकर्ता कृपया याचिकाकर्ता के साथ न्याय करने के लिए उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश के लिए प्रार्थना करें जैसा कि माननीय न्यायाधीश उपयुक्त और उचित समझें।"

5. इन बैचों में शामिल मामलों में रिट याचिकाकर्ताओं की स्थिति निम्नानुसार है:-

एल.पी.ए. संख्या	संबंधित रिट याचिका संख्या	याचिकाकर्ता(ओं) की श्रेणी	पद के लिए आवेदन
510/2023	4333/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
513/2023	2710/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
521/2023	2660/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
522/2023	2678/2019	पारा-शिक्षक	पारा शिक्षक श्रेणी
527/2023	4383/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
528/2023	3136/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
532/2023	2867/2019	पारा-शिक्षक	पारा शिक्षक श्रेणी
533/2023	2879/2019	पारा-शिक्षक	पारा शिक्षक श्रेणी
534/2023	3106/2019	याचिकाकर्ता सं0 1 से 7 पारा-शिक्षक हैं और याचिकाकर्ता सं0 8 पारा-शिक्षक नहीं है।	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
536/2023	5120/2019	पारा-शिक्षक	पारा शिक्षक श्रेणी
537/2023	6140/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
539/2023	3766/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
542/2023	2871/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी
543/2023	2577/2019	पारा-शिक्षक	गैर-पारा शिक्षक श्रेणी

6. इस प्रकार, इस समय जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें मोटे तौर पर दो श्रेणियां शामिल हैं। एक, पारा-शिक्षकों ने गैर-पारा-शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया है, और दूसरा, पारा-शिक्षकों ने पारा-शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया है। रिट याचिकाकर्ता संख्या 8 (राजेश कुमार पिता - शंभू यादव) डब्ल्यूपीएस संख्या 3106/2019 (संबंधित एल.पी.ए. संख्या 534/2023) पारा शिक्षक नहीं है और उसने गैर पारा शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया था।

7. <u>अपीलकर्ताओं के तर्क</u>

i. डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 19/2016 में पारित आदेश (एल.पी.ए. संख्या 168/2017 में पुष्टि) का हवाला देते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश और इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पुष्टि में

स्पष्ट निर्देश है कि राज्य के सभी जिलों में केवल एक काउंसलिंग होगी, लेकिन रिट कोर्ट ने विवादित आदेश पारित करते समय डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 19/2016 में पारित निर्देश पर विचार करने में विफल रहा है।

ii. रिट कोर्ट ने विवादित आदेश पारित करते समय इस बात पर विचार नहीं किया कि डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 19/2016 (एलपीए संख्या 168/2017 में पुष्टि) में निर्देश दिया गया था कि जिन अभ्यर्थियों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्हें कोर्ट के आदेश द्वारा अनुमति दी गई है।

iii. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रिट कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 02.05.2019 को जारी संकल्प के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, उन्हें काउंसलिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

8. <u>रिट याचिकाकर्ताओं के तर्क</u>

रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आरोपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिट याचिकाओं के एक ही बैच में से एल.पी.ए. संख्या 203/2022 के एक बैच और अन्य समरूप मामलों का निर्णय एक समन्वय खंडपीठ द्वारा किया जा चुका है जिसमें उचित निर्देश भी जारी किए गए हैं और ऐसा निर्णय एक बाध्यकारी मिसाल है इसलिए इन मामलों के बैच में अलग दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी अलग दृष्टिकोण न्यायिक अनुशासन के विरुद्ध होगा।

9. दिनांक 01 दिसंबर 2023 के आदेश के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा एल.पी.ए. संख्या 510/2023, 513/2023, 521/2023, 527/2023, 528/2023, 534/2023, 537/2023, 539/2023, 542/2023 और 543/2023 में लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की गई हैं, और एल.पी.ए. संख्या 522/2023, 532/2023, 533/2023 और 536/2023 में कोई लिखित प्रस्तुतियाँ दायर नहीं की गई हैं। उपर्युक्त चार्ट यह दर्शाएगा कि पैरा-शिक्षकों की ओर से कोई लिखित प्रस्तुतियाँ दायर नहीं की गई हैं, जिन्होंने पारा-शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया था। इसके अलावा, एक पृथक रिट याचिकाकर्ता संख्या 8 (संबंधित एलपीए संख्या 534/2023)

का कोई उल्लेख नहीं है, जो पारा शिक्षक नहीं है और उसने गैर-पारा शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया था।

इस न्यायालय के निष्कर्ष।

मामलों की पृष्ठभूमि।

10. मामले की पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 2015 में विभिन्न जिलों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लागू नियम झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियम, 2012 था। उम्मीदवारों को जिलेवार आवेदन करना था और विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग आवेदन करना था। विज्ञापन के अनुसार, कुल पदों में से 50% पद सरकारी स्कूलों में कार्यरत पारा शिक्षकों से भरे जाने थे, जबकि शेष 50% पद गैर पारा शिक्षक उम्मीदवारों से भरे जाने थे।

11. विज्ञापित रिक्तियों को भरे बिना काउंसलिंग बीच में ही रोक दी गई, जिसके कारण इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिनमें डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 और डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 32/2016 शामिल हैं। डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 और अन्य समरूप मामलों में तय रिट याचिकाओं के बैच में सभी याचिकाकर्ता पैरा-शिक्षक थे। उक्त रिट याचिकाओं में विचार के लिए कानून का एक सामान्य प्रश्न उठा कि क्या विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति को मनमाने ढंग से अस्वीकार किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आगे काउंसलिंग आयोजित न करने का निर्णय लिया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति से मनमाने ढंग से इनकार किया जा सकता है। रिट कोर्ट के समक्ष राज्य का मामला था कि विभाग द्वारा दिनांक 03.07.2015 के आदेश के तहत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चयन प्रक्रिया 18.09.2015 तक पूरी की जानी थी तथा अवधि समाप्त होने पर सभी जिलों में आगे की काउंसलिंग रोक दी गई थी। रिट कार्यवाही में यह स्वीकार किया गया कि अधिकांश जिलों में काउंसलिंग दिसंबर 2015 तक जारी रही तथा कुछ जिलों में जनवरी 2016 में भी काउंसलिंग आयोजित की गई। उन मामलों में याचिकाकर्ताओं का मामला था कि उन्हें पात्र उम्मीदवारों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था तथा उन्हें पात्र उम्मीदवारों के पैनल में शामिल किया गया था। रिट कोर्ट का विचार था कि शेष रिक्त पदों के विरुद्ध पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित करना अवैधानिक तथा न्यायोचित नहीं था। यह देखा गया कि विभिन्न जिलों में काउंसलिंग की संख्या 6 से 10 तक भिन्न

थी तथा प्रत्येक जिले में बड़ी संख्या में रिक्त पद थे। इस न्यायालय का मानना था कि इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियों को खाली छोड़ना और योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित करना जनहित में नहीं है। न्यायालय का यह भी मानना था कि यदि विज्ञापित शेष रिक्तियों में नियुक्ति के लिए एक और काउंसलिंग आयोजित की जाए तो स्थिति में सुधार हो सकता है।

12. रिट कोर्ट ने डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 में जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 16(iii) के आधार पर उठाई गई दलील पर भी ध्यान दिया कि मेरिट सूची में नीचे वाले उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया लेकिन याचिकाकर्ताओं को छोड़ दिया गया। 11.01.2017 को पारित आदेश के तहत उक्त रिट याचिका में एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि उसमें दर्शाए गए न्यूनतम कटऑफ अंक महिला उम्मीदवारों के लिए थे, जिसकी पुष्टि जवाबी हलफनामे के साथ पेश किए गए चार्ट से होती है। ऐसे में, इस न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त दलील पर आगे कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। रिट कोर्ट का यह भी मानना था कि नियुक्ति के मामले में अन्य पात्र उम्मीदवारों को भी समान लाभ दिए जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में अन्य पात्र उम्मीदवारों द्वारा समान लाभ का दावा करने वाले संभावित मुकदमों से बचा जा सके, जो न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं की तुलना में मेरिट सूची में उच्चतर हो सकते हैं।

13. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016, डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 32/2016 तथा अन्य समरूप मामलों को दिनांक 02.02.2017 के निर्णय के पैराग्राफ 19 और 20 में निहित निर्देशों के साथ अनुमति दी गई थी, ताकि निर्णय के पैराग्राफ 19 और 20 में निहित निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में एक साथ एक और काउंसलिंग आयोजित की जा सके, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> **"19.** उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-
>
> I. एक सार्वजनिक सूचना जिसमें यह दर्शाया गया हो कि सभी जिलों में विज्ञापित रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग मार्च, 2017 के तीसरे/चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इसे 23.02.2017 को या उससे पहले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। सार्वजनिक सूचना में यह भी दर्शाया जाएगा कि उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग एक दिन से अधिक समय तक जारी रह सकती है।

II. प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बाद कुल रिक्तियों की दोगुनी संख्या वाले अभ्यर्थियों को, अधिमानतः मार्च 2017 के तीसरे सप्ताह तक, वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। हालांकि, सभी सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को परामर्श के लिए बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

III. उपरोक्त खंड (ii) में निर्दिष्ट "विचाराधीन क्षेत्र" के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के नाम काउंसलिंग की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे।

IV. संपूर्ण प्रक्रिया 31.03.2017 तक पूरी कर ली जानी चाहिए।

20. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के सभी जिलों में केवल एक ही काउंसलिंग होगी और सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय उन अभ्यर्थियों के जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमति दी गई है।"

14. डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 में पारित दिनांक 02.02.2017 के निर्णय को एल.पी.ए. संख्या 168/2017 में चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 11.05.2018 के निर्णय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा वास्तविक कठिनाइयां उठाई गई थीं और सक्षम शिक्षकों की आवश्यकता थी। विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या पर विचार करते हुए, खंडपीठ को विद्वान रिट न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत पैराग्राफ संख्या 19 और 20 में लिए गए निर्णय से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिला, जिसके तहत एक और काउंसलिंग का उचित अवसर दिया गया था। यह भी देखा गया कि ऐसा निर्देश किसी कानून या राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापन या परिपत्र के किसी खंड के विपरीत नहीं कहा जा सकता क्योंकि काउंसलिंग की न्यूनतम या अधिकतम संख्या के संबंध में एक भी परिपत्र नहीं था। यह भी देखा गया कि विज्ञापित कुल 10,000 रिक्तियों में से 3832 रिक्तियां अभी भी खाली हैं और यदि राज्य द्वारा डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 में पारित दिनांक 02.02.2017 के आदेश के पैराग्राफ 19 और 20 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाता है, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य को अपना कर्तव्य निभाने का एक और मौका दिया गया था। अपील को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 में रिट कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशानुसार

यथाशीघ्र और व्यावहारिक रूप से काउंसलिंग का कार्य पूरा करें और किसी भी स्थिति में 11.05.2018 से चार महीने की अवधि से अधिक देर न करें।

15. उसी दिन यानी 11.05.2018 को, लेटर्स पेटेंट अपील के एक अन्य बैच एलपीए संख्या 186/2017 और उसी चयन प्रक्रिया से उत्पन्न एक अन्य अनुरूप मामले का निपटारा किया गया। उक्त एलपीए में, पैरा शिक्षकों के रूप में कार्यरत मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने पारा-शिक्षकों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन नहीं किया था, बल्कि गैर-पारा शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया था। राज्य ने तर्क दिया था कि मूल याचिकाकर्ता पारा-शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें आवेदन करना चाहिए या उन्हें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित श्रेणी कोटा के तहत आवेदन करने वाला माना जाएगा। राज्य के इस तर्क को खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा कोई नियम, विनियमन या सरकारी परिपत्र या सरकारी नीति नहीं है कि जो उम्मीदवार पहले से ही पारा-शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें पारा-शिक्षकों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहिए और संबंधित सार्वजनिक विज्ञापन के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं जुड़ी थी कि जो उम्मीदवार पैरा-शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें पारा-शिक्षकों के लिए आरक्षित श्रेणी की सीटों के लिए आवेदन करना चाहिए। आगे यह भी देखा गया कि इसके विपरीत, आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना या न करना उम्मीदवार के आत्मविश्वास पर निर्भर करता है और ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई रोक नहीं थी कि वे सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन नहीं कर सकते, जो गैर-पारा शिक्षकों के लिए थी और ऐसे उम्मीदवार इतने आश्वस्त थे कि वे सरकार द्वारा पारा-शिक्षकों के लिए दी गई आयु में छूट या किसी अन्य प्रकार की छूट का लाभ नहीं उठा सकते थे। यह देखा गया कि संबंधित रिट कोर्ट ने डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 6031/2015 और डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 173/2016 पर दिनांक 02.03.2017 के साझा निर्णय के माध्यम से मामले के इन पहलुओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया था और परिणामस्वरूप विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 02.03.2017 के निर्णय को रद्द कर दिया गया और उसे अलग रखा गया। खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया कि वह यथाशीघ्र मूल याचिकाकर्ताओं की काउंसलिंग आरंभ करे, ताकि इसमें निहित निर्देशों के अनुसार 11.05.2018 से चार महीने की अवधि के भीतर इसे पूरा किया जा सके और गैर-पारा शिक्षक श्रेणी की रिक्तियों के अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके, बशर्ते कि अपीलकर्ताओं द्वारा आयु आदि के लिए पात्रता मानदंड के

संबंध में शर्तें पूरी की जाएं। एक अन्य एल.पी.ए एलपीए संख्या 172 ऑफ 2018 है, जो एल.पी.ए संख्या 186 ऑफ 2017 के समान ही थी, जिस पर 23.07.2018 को समान निर्देशों के साथ निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2142/2019 तथा डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 768/2019 के साथ अन्य समरूप मामलों पर 13.05.2019 को निर्णय लिया गया, एल.पी.ए. संख्या 186/2017 के तहत गैर पारा शिक्षक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों को दिए जाने वाले लाभ ऐसे सभी व्यक्तियों को दिए गए, जिनकी स्थिति समान थी तथा राज्य को निर्देश भी जारी किया गया कि वह डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2142/2019 तथा अन्य समरूप मामलों के सभी रिट याचिकाकर्ताओं के नाम सहायक शिक्षकों के चयन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करें।

16. इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के तहत तथा सभी जिलों के लिए एक ही दिन में एक काउंसलिंग आयोजित करने के लिए दिनांक 02.05.2019 को एक संकल्प जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि जिन अभ्यर्थियों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, उन्हें दिनांक 03.06.2019 को आयोजित होने वाली काउंसलिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा तथा काउंसलिंग के एक ही दौर के आयोजन की पूरी प्रक्रिया अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 03.06.2019 को आयोजित की गई तथा कई व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

17. इसके बाद रिट याचिकाओं का एक और बैच डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2378/2019 और अन्य समान मामले रिट कोर्ट के समक्ष विचारार्थ आए, जिनका निपटारा दिनांक 16.02.2022 के आपत्तिजनक आदेश के तहत किया गया है। जैसा कि आपत्तिजनक आदेश के पैराग्राफ 3 में दर्ज है, रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट कोर्ट से एक आम प्रार्थना के साथ संपर्क किया था, जिसमें अपीलकर्ताओं को संबंधित श्रेणियों में उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, अर्थात पारा शिक्षक और गैर-पारा शिक्षक श्रेणी, जिस जिले के लिए उन्होंने इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों की रिक्त सीटों के लिए आवेदन किया था।

18. विद्वान रिट कोर्ट ने मामले की पूरी पृष्ठभूमि का उल्लेख किया और इस अदालत से फिर से संपर्क करने के लिए कार्रवाई का नया कारण आपत्तिजनक आदेश के पैराग्राफ 6 में दर्ज किया गया है।

<u>डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 2378/2019 और अन्य अनुरूप मामलों को दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण और विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं का मामला।</u>

19. रिट याचिकाओं के बैच को दायर करने का कारण, जिसमें डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 2378/2019 और अन्य समान मामले शामिल हैं, जैसा कि आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया है, यह है कि यद्यपि रिट याचिकाकर्ताओं ने कई जिलों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके नाम किसी भी जिले की काउंसलिंग सूची में शामिल नहीं किए गए थे और उनकी विशेष शिकायत यह थी कि रिट याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम अंक वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग सूची में शामिल किया गया था और उन्हें काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए भी बुलाया गया था और उन्हें वर्ष 2019-22 एल.पी.ए. संख्या 510/2023 और समान मामलों में ही नियुक्ति दे दी गई थी। रिट याचिकाओं के बैच में रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों द्वारा तर्क दिया गया कि वर्ष 2015 के विज्ञापन के आलोक में सभी संबंधित श्रेणियों यानी पैरा शिक्षक के साथ-साथ गैर-पैरा शिक्षक श्रेणी के लिए रिक्त सीटों के विरुद्ध काउंसलिंग आयोजित की जानी थी और चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2019 में नियुक्त उम्मीदवारों की तुलना में मेरिट सूची में अधिक अंक प्राप्त किए थे, इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए था। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं को कभी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर दिनांक 02.05.2019 के उपरोक्त संकल्प/संकल्प के खंड 6 (डी) के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि डब्ल्यू.पी.(एस.) संख्या 768/2019 में दिनांक 13.05.2019 के आदेश में दिए गए निर्देश के आलोक में राज्य को मेरिट सूची के आधार पर सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करना चाहिए था, जिसमें वे उम्मीदवार भी शामिल थे जिन्होंने माननीय न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था। यह भी तर्क दिया गया कि कई जिलों के लिए, एक ही उम्मीदवारों के नाम काउंसलिंग के लिए प्रकाशित किए गए थे और इस तरह, काउंसलिंग आयोजित होने के बाद भी सीटें खाली रह गईं क्योंकि एक उम्मीदवार केवल एक जिले के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकता था। यह तर्क दिया गया कि कई जिलों में रिट याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में शामिल किया गया और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और काउंसलिंग के बाद ही नियुक्त किया गया, केवल इस आधार पर कि पहले उन्होंने अपनी शिकायतों के

निवारण के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य ने झारखंड राज्य के सभी जिलों के कट-ऑफ अंकों का चार्ट दिखाते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया था और वहां से यह स्पष्ट था कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास अपने संबंधित जिलों में उनकी संबंधित श्रेणियों में नियुक्त अंतिम उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक थे।

<u>रिट न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का मामला।</u>

20. अपीलकर्ताओं द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि चूंकि विज्ञापित पद जिला संवर्ग के हैं, इसलिए संबंधित जिलों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या और काउंसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के कारण प्रत्येक जिले में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक अलग-अलग हैं। पैरा शिक्षकों और गैर-पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कट-ऑफ अंक प्रत्येक जिले द्वारा नई काउंसलिंग से पहले प्रकाशित किए गए थे और उम्मीदवारों को डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 में पारित आदेश के प्रभावी भाग के अनुसार काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में केवल एक ही काउंसलिंग होगी और सभी जिलों में एक साथ काउंसलिंग आयोजित की जाएगी और जिन उम्मीदवारों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, उन्हें काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उनके जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमति दी गई हो।

21. यह तर्क दिया गया कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों के अंक दिखाने वाला डेटाबेस संबंधित जिले द्वारा तैयार किया गया था और निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, जो कि पत्र संख्या 203 दिनांक 29.01.2019 से स्पष्ट है। इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, संकल्प संख्या 662 दिनांक 02.05.2019 जारी किया गया था, और उक्त संकल्प के पैरा-6(ई)(आई) के अनुसार, जिन उम्मीदवारों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था (उपस्थित हुए या नहीं) उन्हें वर्तमान काउंसलिंग में भाग लेने के लिए फिर से आमंत्रित नहीं किया गया था। चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं को पहले विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, इसलिए उन्हें 03.06.2019 को आयोजित नई काउंसलिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि काउंसलिंग का पूरा नया दौर समाप्त हो चुका था और रिट

याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वर्तमान रिट याचिकाएँ किसी भी योग्यता से रहित थीं और शुरू में ही खारिज किए जाने योग्य थीं।

<u>रिट न्यायालय के निष्कर्ष, मुद्दा तैयार किया गया और जारी किए गए निर्देश</u>

22. रिट कोर्ट ने अपने निष्कर्ष, अन्य बातों के साथ-साथ, पैराग्राफ 10 और 12 में निम्नानुसार दर्ज किए: -

> "10. जैसा भी हो, पक्षों के विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनने और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि मामलों का इतिहास विवादास्पद है। इससे पहले इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों (पारा शिक्षकों और गैर-पारा शिक्षकों) ने **डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 और अन्य सदृश मामलों (बिनोद कुमार यादव एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** में नए सिरे से काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि राज्य द्वारा मनमाने तरीके से इसे अस्वीकार कर दिया गया था। उन मामलों में राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया था कि विभाग द्वारा दिनांक 03.07.2015 के पत्र द्वारा निर्धारित समय सारिणी के कारण, जिसमें चयन प्रक्रिया 18.09.2015 तक पूरी की जानी थी, सभी जिलों में आगे की काउंसलिंग रोक दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले की विस्तार से सुनवाई की गई और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई सचेत निर्णय नहीं लिया गया है और चूंकि योग्य उम्मीदवार मौजूद थे और चूंकि पद रिक्त थे और रिक्तियां थीं, नियुक्ति से इनकार करना पूरी तरह से अवैध और न्यायोचित नहीं माना गया। बेशक, नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकती है और इसे तार्किक अंत तक पहुंचना होगा और इसे कहीं न कहीं रोकना होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के हर पहलू पर विचार करते हुए यह विचार किया कि यदि विज्ञापित शेष पदों पर नियुक्ति के लिए एक और काउंसलिंग आयोजित की जाती है तो मुद्दों का समाधान हो सकता है। न्यायालय इस तथ्य के प्रति बहुत सचेत था कि यदि उपरोक्त रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के मामलों को अनुमति दी जाती है, तो समान स्थिति वाले व्यक्ति भी समान आदेशों के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और भले ही वे संपर्क न करें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय के मद्देनजर **यू.पी. राज्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव [(2015) 1 एससीसी 347],** के मामले में सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों के एक विशेष समूह को न्यायालय द्वारा राहत दी जाती है, तो अन्य सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को उस लाभ का विस्तार करके समान रूप से व्यवहार करने की

आवश्यकता होती है। तदनुसार, इस न्यायालय ने रिट याचिका को डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 19/2016 और अन्य अनुरूप मामलों को अनुमति दी।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को **एलपीए संख्या 168/2017 (झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम बिनोद कुमार यादव एवं अन्य)** में खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी और माननीय न्यायालय ने उक्त एलपीए को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से टिप्पणी की थी कि, "इसलिए हम सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग, झारखंड सरकार को निर्देश देते हैं कि वे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पैराग्राफ 19 और 20 में दिए गए निर्देशानुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करें, तथा किसी भी स्थिति में आज से चार महीने की अवधि से अधिक नहीं।" इस न्यायालय द्वारा विभिन्न एलपीए और विभिन्न रिट याचिकाओं में व्यक्त किए गए समान विचार, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि डब्ल्यूपी(एस) में पारित निर्णय के पैरा-19 और 20 में व्यक्त किए गए विचार के अलावा कोई अन्य विचार मान्य नहीं है। 2016 के क्रमांक 19 और अन्य समरूप मामलों तथा 2017 के एलपीए क्रमांक 168 में पारित निर्णय के पैरा-8 को लिया जा सकता है। वर्तमान रिट याचिकाएं इस आधार पर दायर की गई हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2019 में नियुक्त अंतिम चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं और इसलिए इन याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का विशेष तर्क यह है कि उन्हें कभी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर दिनांक 02.05.2019 के संकल्प/संकल्प के खंड-6(डी) के अनुसार विचार किया जाना चाहिए था।

यद्यपि राज्य को रिक्त पदों की घोषणा करने के लिए एक विशिष्ट निर्देश दिया गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया है, हालांकि कई स्थगन किए गए और राज्य द्वारा कई हलफनामे दायर किए गए।

23. विद्वान रिट न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश के पैरा 13 में इस मुद्दे को विचारार्थ इस प्रकार तैयार किया: -

> **"13. अब, इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या छूटे हुए अभ्यर्थी, जिन्होंने अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें सहायक अध्यापक (पारा या नॉन-पारा) के पद पर नियुक्ति के लिए आगे काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पहले कभी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है।"**

24. विवादित आदेश के पैराग्राफ 13 में उठाए गए मुद्दे का उत्तर पैराग्राफ 14 से 17 के माध्यम से दिया गया है और निष्कर्ष निम्नानुसार संक्षेपित हैं: -

क. राज्य सरकार के दिनांक 02.05.2019 के संकल्प के खंड 6(ई)(आई) से (वी) में, जो ज्ञापन संख्या 662 में निहित है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन लोगों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, चाहे उन्होंने भाग लिया हो या नहीं, उन्हें फिर से नहीं बुलाया जाना चाहिए और केवल उन उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिन्होंने नए सिरे से काउंसलिंग में भाग लेने के लिए न्यायालय का आदेश प्राप्त किया है। राज्य ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं की काउंसलिंग से इनकार कर दिया है, हालांकि उन्होंने पिछले चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

ख. कानून में यह बात स्पष्ट है कि केवल इसलिए कि अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें रिक्त पद पर नियुक्ति का अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं है। कानून के स्थापित सिद्धांत पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन साथ ही उपरोक्त कानूनी प्रस्तावों से यह भी स्पष्ट है कि राज्य को मनमाने तरीके से काम करने का अधिकार नहीं है। यदि रिक्तियां अभी भी हैं, तो जिन अभ्यर्थियों ने अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और सभी मामलों में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, उनके अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक हैं, तो निश्चित रूप से राज्य उनके मामलों पर विचार करने के लिए बाध्य है क्योंकि सहायक अध्यापकों (पारा और नॉन-पारा) की नियुक्ति के लिए अभी तक कोई नया विज्ञापन नहीं निकाला गया है जिसमें बैकलॉग रिक्तियों को भी जोड़ा जा सके।

ग. इस मामले में याचिकाकर्ताओं को कभी भी परामर्श के लिए नहीं बुलाया गया। राज्य का यह मामला कि उपरोक्त रिट याचिका और एलपीए में पारित न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है, इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि **अरविंद कुमार श्रीवास्तव (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित कानूनी प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना था और उसे लागू किया जाना था और ऐसा नहीं है कि इस न्यायालय से संपर्क करने वाले व्यक्ति ही लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा, इन याचिकाकर्ताओं को कभी भी परामर्श के लिए नहीं बुलाया गया, और इसलिए, राज्य का तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।

घ. वर्तमान मामले में, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए यदि रिक्तियां अभी भी हैं और उन्हें अभी तक विज्ञापित नहीं किया गया है, तो वे नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं।

ई. चूंकि पारा शिक्षक गैर-पारा श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में अस्पष्टता को इस न्यायालय द्वारा **एलपीए संख्या 186/2017 (पवन सिंह चौधरी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** में पहले ही समाप्त कर दिया गया है, इसलिए उन्हें बिना किसी भेदभाव के एक बार काउंसलिंग के लिए आमंत्रित करके नियुक्ति के लिए बुलाया जा सकता है। कम योग्यता वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित

प्रावधानों का उल्लंघन है।

25. उपरोक्त निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, रिट कोर्ट ने विवादित निर्णय के पैराग्राफ 18 से 20 में निहित निर्देश जारी किए: -

> **"18.** उपरोक्त टिप्पणियों, नियमों, दिशा - निर्देशों, कानूनी प्रस्तावों और न्यायिक घोषणाओं के संचयी प्रभाव के रूप में, मैं प्रतिवादियों को निर्देश देता हूं कि वे वर्तमान याचिकाकर्ताओं के लिए अंतिम अवसर के रूप में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि उन्होंने मेरिट सूची में अंतिम चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। याचिकाकर्ताओं को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से यथाशीघ्र, अधिमानतः आठ सप्ताह की अवधि के भीतर, संबंधित जिलों के उपायुक्तों से संपर्क करना होगा और उसके बाद, उपायुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को उचित सूचना देने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, संबंधित जिलों में व्यापक प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्र में सूचना का विज्ञापन करेंगे और संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना लगाएंगे और उसके बाद, पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन और यदि वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने अंतिम चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।
>
> सम्पूर्ण प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर पूरी की जाए।
>
> **19.** यह स्पष्ट किया जाए कि किसी भी कारण से आगे कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की जाएगी, क्योंकि इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन 2015 का है और उपरोक्त निर्देश मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जारी किए गए हैं, जिन्हें मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा।
> **20.** उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, ये सभी रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।"

26. रिट याचिकाओं के समूह में पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध विभिन्न लेटर्स पेटेंट अपीलें दायर की गई थीं और उनमें से कुछ का निर्णय दिनांक 15.09.2023 को एल.पी.ए. संख्या 203/2022 और अन्य समान मामलों में पारित आदेश के माध्यम से किया गया है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय खंडपीठ ने रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और आदेश के अनुपालन के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि एल.पी.ए. संख्या 203/2022 और अन्य समान मामलों में निहित निर्देशों का

अपीलकर्ताओं द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है और इस बीच, उसी आक्षेपित आदेश से उत्पन्न अपीलों के इस समूह को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

27. एल.पी.ए. संख्या 203/2022 तथा अन्य समरूप मामलों की सुनवाई इस न्यायालय की समन्वित खंडपीठ द्वारा की गई तथा निर्णय के पैराग्राफ 56 में दिए गए कारणों का हवाला देते हुए उन्हें खारिज कर दिया गया, जिसका उल्लेख इस प्रकार है: -

> "56. यह न्यायालय, पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए, इस विचार पर है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश में निम्नलिखित आधारों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है:
>
> I. यह स्वीकृत तथ्य है कि समन्वय एकल पीठ ने दिनांक 02.02.2017 को डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 19/2016 और समरूप मामलों में आदेश पारित किया है, जिसमें पैराग्राफ 20 में निर्देश दिया गया है कि केवल एक काउंसलिंग होगी, जिसमें कहा गया है कि "यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के सभी जिलों में केवल एक ही काउंसलिंग होगी ..."।
>
> II. डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 19/2016 और समरूप मामलों में पारित दिनांक 02.02.2017 के आदेश की पुष्टि अंतर-न्यायालय अपील में की गई, अर्थात एल.पी.ए. संख्या 168/2017 में, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं दर्शाया गया।
>
> III. इसके अलावा पारा-शिक्षक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को गैर-पारा शिक्षक श्रेणी के तहत चयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का मुद्दा डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 6031/2015 और अनुरूप मामलों में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसे नकार दिया गया था, जिसके खिलाफ रिट याचिकाकर्ताओं ने एलपीए 186/2017 के साथ एलपीए 199/2017 के रूप में अंतर-न्यायालय अपील पेश की थी, जिसे दिनांक 11.05.2018 के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था और प्रतिवादी-राज्य को मूल याचिकाकर्ताओं की काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि, यह माना गया था कि रिट याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी गैर-पारा श्रेणी शिक्षक रिक्तियों के अनुसार विचार की जाएगी, बशर्ते कि इन अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आयु आदि के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में शर्तों को पूरा किया जाए।
>
> IV. एक अन्य अंतर-न्यायालय अपील, एल.पी.ए. संख्या 172/2018, डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 178/2016 में पारित दिनांक 01.02.2018 के आदेश के विरुद्ध पेश की गई थी, जिसके तहत रिट याचिकाकर्ताओं ने हालांकि आरक्षित श्रेणी

(पारा श्रेणी) के तहत आवेदन नहीं किया था, लेकिन उन्हें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में माना जाने के लिए मजबूर किया गया था। विद्वान समन्वय खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा कोई नियम, विनियमन या सरकारी परिपत्र या सरकारी नीति नहीं है कि वे उम्मीदवार, जो पहले से ही पारा टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षकों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहिए और इसके अलावा सार्वजनिक विज्ञापन के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं जुड़ी है कि वे उम्मीदवार जो पारा टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें पारा-टीचर के लिए आरक्षित श्रेणी की सीटों के लिए आवेदन करना चाहिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और अलग रखा। आगे यह माना गया है कि आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करना या न करना उम्मीदवारों के आत्मविश्वास पर निर्भर करता है और ऐसे उम्मीदवारों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि वे सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं जो गैर-पारा शिक्षकों के लिए है।

V. इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 19/2016 में पारित आदेश से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने अपनी दलील केवल प्रतिवादियों द्वारा बीच में काउंसलिंग रोकने के निर्णय की वैधता तक ही सीमित रखी। इस बहाने विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है कि केवल एक ही काउंसलिंग होगी। यहां विद्वान एकल न्यायाधीश ने गैर-पैरा शिक्षक श्रेणी के तहत पारा-शिक्षकों की उम्मीदवारी पर विचार करने के मुद्दे पर फैसला नहीं किया था, यदि वे अन्यथा पात्र हैं। तथ्य के तौर पर, उक्त मुद्दे का निर्णय एलपीए 186/2017 के साथ एलपीए 199/2017 में विद्वान समन्वय खंडपीठ द्वारा किया गया था, जिसे दिनांक 11.05.2018 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था और प्रतिवादी-राज्य को मूल याचिकाकर्ताओं की काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि, यह माना गया था कि रिट याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी गैर- पारा श्रेणी शिक्षक रिक्तियों के अनुसार विचार की जाएगी, बशर्ते कि इन अपीलकर्ताओं-रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आयु आदि के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में शर्तों को पूरा किया जाए।

VI. इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पारा-शिक्षकों को अनुमति देने का मुद्दा एलपीए संख्या 186/2017 के साथ एलपीए संख्या 199/2019 में पहले ही तय किया जा चुका है, इसलिए यदि उन परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति देकर उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का आदेश पारित किया है, जिसे हमारे विचार के अनुसार त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

VII. विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय सही है और न्यायिक अनुशासन यह वारंट करता है कि यदि मुद्दे का निर्णय उच्चतर न्यायालय द्वारा किया गया है तो बाध्यकारी वरीयता के सिद्धांत पर कमतर न्यायालय को भी बाध्य करता है।

इस संबंध में **आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य, (2008) 10 एससीसी 1** के मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जिसमें पैराग्राफ-84, 86 और 88 में इसे निम्नानुसार माना गया है:

"84. बिहार राज्य बनाम कालिका कुअर में, न्यायालय ने प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत पर विस्तार से विचार किया और माना कि एक बड़ी पीठ द्वारा पहले दिए गए फैसले को प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत को लागू करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और समन्वय या छोटी पीठ के लिए खुला एकमात्र रास्ता बड़ी पीठ के लिए संदर्भ के लिए अनुरोध करना है। **86.** सेंट्रल बोर्ड ऑफ द्वौदी बोहरा कम्युनिटी बनाम महाराष्ट्र राज्य में, संविधान पीठ ने अनुच्छेद 141 की व्याख्या की, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सहित विभिन्न पहले के निर्णयों का हवाला दिया। लिमिटेड बनाम मुंबई श्रमिक संघ और प्रदीप चंद्र परीजा बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक मामले में फैसला सुनाया कि "बड़ी संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले में निर्धारित कानून, कम या बराबर संख्या वाली किसी भी बाद की पीठ पर बाध्यकारी होता है और यह अनुचित होगा यदि दो न्यायाधीशों की खंडपीठ तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसलों को खारिज करना शुरू कर दे। न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह की प्रथा न केवल अनुशासन के नियम और बाध्यकारी मिसालों के सिद्धांत के लिए हानिकारक होगी बल्कि इससे कानून के मुद्दे पर फैसलों में असंगति भी आएगी; कानून के विकास और इसकी समकालीन स्थिति में स्थिरता और निश्चितता - दोनों ही तत्काल प्रभावित होंगे (केंद्रीय दाउदी बोहरा समुदाय मामला, एससीसी पृष्ठ 682, पैरा 12 और 10)।

88. उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ बनाम दया राम सरोज में न्यायालय ने कहा कि समन्वय पीठ के पहले के फैसले को नजरअंदाज करते हुए, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अंशकालिक नलकूप ऑपरेटरों को यथासंभव समान सेवा शर्तों के साथ स्थायी कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए और कहा:

> **"26.** न्यायिक अनुशासन आत्म-अनुशासन है। यह प्रणाली में ही एक अंतर्निहित तंत्र है। न्यायिक अनुशासन की मांग है कि जब उसी उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ का फैसला पीठ के संज्ञान में लाया जाता

है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और यह बाध्यकारी है, बेशक, अलग दृष्टिकोण लेने या निर्णय की शुद्धता पर संदेह करने के अधिकार के अधीन है और तब स्वीकार्य तरीका यह है कि प्रश्न या मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाए। यह न्यायिक बिरादरी द्वारा बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम अनुशासन और शिष्टाचार है।"

28. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने एल.पी.ए. संख्या 203/2022 में विद्वान रिट न्यायालय के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए आदेश के पैराग्राफ 57 में निहित निर्देश जारी किए, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है: -

"57. तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्देश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसका जल्द से जल्द अनुपालन किया जाना चाहिए क्योंकि रिक्तियां वर्ष 2015 की हैं और यदि वे अन्यथा पात्र हैं तो उम्मीदवारों के अधिकारों को छीने बिना इसे तार्किक रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, अपीलकर्ता राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि:

I. वर्तमान याचिकाकर्ताओं के लिए अंतिम अवसर के रूप में काउंसलिंग की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संबंधित जिलों में मेरिट सूची में अंतिम चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

II. याचिकाकर्ताओं को यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, संबंधित जिलों के उपायुक्तों से संपर्क करना होगा।

III. हालांकि, इस बीच, संबंधित जिले के उपायुक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को उचित सूचना देंगे, संबंधित जिलों में व्यापक प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे और संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी नोटिस लगाएंगे।

IV. यह न्यायालय आशा और विश्वास करता है कि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पात्रता मानदंडों को पूरा करने और साथ ही यदि वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने अंतिम चयनित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आगे आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।

V. यह स्पष्ट किया जाता है कि चयन की पूरी प्रक्रिया, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/पेश होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर, ऊपर

उल्लिखित प्रासंगिक नियमों/विनियमों और न्यायिक घोषणाओं के अनुसार सख्ती से की जाएगी।

VI. यह स्पष्ट किया जाए कि किसी भी कारण से आगे कोई काउंसलिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन 2015 का है और उपरोक्त निर्देश मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जारी किए गए हैं, जिन्हें मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा।

29. इस न्यायालय ने पाया कि बड़ी संख्या में रिट याचिकाओं को टैग किया गया था और विद्वान रिट न्यायालय द्वारा एक साथ लिया गया था और अधिकांश रिट याचिकाओं में एक से अधिक याचिकाकर्ता थे। याचिकाकर्ताओं की मुख्य रूप से तीन श्रेणियां थीं, पारा-शिक्षक के रूप में कार्यरत उम्मीदवार और गैर-पारा शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया; पैरा-शिक्षक के रूप में कार्यरत उम्मीदवार और पारा शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया; और अन्य उम्मीदवार जिन्होंने गैर-पारा शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया था। एक ही भर्ती प्रक्रिया से उत्पन्न मुकदमेबाजी के पहले दौर में, रिट कार्यवाही की मुख्य रूप से दो श्रेणियां थीं: -

ए. डब्ल्यूपीएस संख्या 19/2016 के साथ डब्ल्यूपीएस संख्या 32/2016 के अनुरूप मामला जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह थी कि विभिन्न श्रेणियों के तहत विज्ञापित सभी पदों को भरे बिना काउंसलिंग बीच में ही रोक दी गई थी। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, रिट याचिकाओं को पैराग्राफ 19 और 20 में निहित निर्देशों के साथ अनुमति दी गई थी जैसा कि पैराग्राफ 12 में उद्धृत किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में एक साथ एक काउंसलिंग की जाए और जिन उम्मीदवारों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था वे भाग नहीं लेंगे, सिवाय उनके जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। आदेश का लाभ सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। फैसले के खिलाफ अपील 11.05.2018 को खारिज कर दी गई।

ख. उन अभ्यर्थियों द्वारा रिट याचिकाओं का एक और सेट दायर किया गया था जो पारा-शिक्षक थे और उन्होंने गैर- पारा-शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन किया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी या तो पारा शिक्षक की आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन नहीं करने के कारण खारिज कर दी गई थी या उन्हें पारा शिक्षक की आरक्षित श्रेणी के तहत माना जाना था। रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और रिट आदेश को एलपीए संख्या 186/2017 और अन्य समान मामलों में चुनौती दी गई जिसमें यह माना गया था कि पैरा शिक्षकों को पारा शिक्षक की आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जब वे

> आरक्षित श्रेणी के तहत कोई लाभ नहीं मांग रहे हैं। मूल याचिकाकर्ताओं के लिए काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश के साथ 11.05.2018 को अपील की अनुमति दी गई थी। अपीलों के अन्य बैचों का भी उसी तर्ज पर निपटारा किया गया और रिट याचिका डब्ल्यूपीएस संख्या 2142/2019 में एलपीए संख्या 186/2017 में पारित आदेश के तहत गैर पारा शिक्षक श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों को दिया गया लाभ सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को दिया गया।

30. इस न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में अपीलकर्ता राज्य ने दिनांक 02.05.2019 को एक संकल्प प्रकाशित किया था कि सभी जिलों में एक समय में एक काउंसलिंग आयोजित की जाए, इस शर्त के साथ कि जिन व्यक्तियों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिनांक 02.05.2019 के संकल्प के अनुसार, 03.06.2019 को काउंसलिंग आयोजित की गई और कई व्यक्तियों को नियुक्त भी किया गया। फिर भी, कई अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने रिट याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया कि यद्यपि उन्होंने कई जिलों के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका नाम किसी भी जिले की काउंसलिंग सूची में शामिल नहीं किया गया और उनकी विशेष शिकायत यह थी कि रिट याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग सूची में शामिल किया गया था, काउंसलिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था और उन्हें वर्ष 2019 में ही नियुक्ति दे दी गई थी, इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए था। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं को कभी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर दिनांक 02.05.2019 के संकल्प / संकल्प के खंड 6 (डी) के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

31. इस न्यायालय ने पाया है कि विद्वान रिट न्यायालय ने विवादित आदेश के पैरा 13 और 17 में दर्ज किया है कि रिट याचिकाकर्ताओं को कभी भी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया था, जो विवादित आदेश के पैरा 7 में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों पर आधारित है।

32. विद्वान रिट न्यायालय ने विवादित निर्णय के पैराग्राफ 14 से 17 में पैराग्राफ 13 में उठाए गए मुद्दे का उत्तर देते हुए दिनांक 02.05.2019 के संकल्प का संज्ञान लिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को पहले काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, चाहे उन्होंने भाग लिया हो या नहीं, उन्हें दोबारा नहीं बुलाया जाना चाहिए। यह

भी दर्ज किया गया कि राज्य ने रिट याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग से वंचित कर दिया था, हालांकि उन्होंने अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए थे और रिट याचिकाकर्ताओं को कभी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया था। एक और काउंसलिंग के लिए उचित निर्देश जारी किए गए थे, क्योंकि रिट याचिकाकर्ताओं को, जिन्हें पहले कभी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया था, ने अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन्हें नियुक्ति के लिए विचार करने का हकदार माना गया था, यदि रिक्तियां अभी भी थीं और उन्हें अभी तक विज्ञापित नहीं किया गया था।

33. चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं का यह विशिष्ट मामला था कि उन्हें कभी भी काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया था और रिट याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था और उनका चयन किया गया था, इसलिए विवादित आदेश में शामिल मामलों के समूह में विभिन्न रिट याचिकाकर्ताओं के विशिष्ट रुख के अनुरूप निम्नलिखित स्पष्टीकरण / निर्देश जारी करना महत्वपूर्ण होगा, हालांकि यह न्यायालय एल.पी.ए. संख्या 203/2022 में पारित दिनांक 15.09.2023 के आदेश द्वारा जारी निष्कर्षों और निर्देशों से असहमत होने के लिए इच्छुक नहीं है:-

I. केवल उन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा जिन्हें पहले कभी किसी जिले में काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, भले ही उन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया हो या नहीं।

II. अभ्यर्थी को नई काउंसलिंग में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए संबंधित प्रतिवादी को यह सत्यापित करना होगा कि संबंधित जिले में मेरिट सूची में नीचे वाले अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हुआ है या नहीं, भले ही ऐसे अभ्यर्थी ने ज्वाइन किया हो या नहीं। यदि ऐसा है, तो केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही नई काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

III. सभी जिलों में एक साथ एक काउंसलिंग आयोजित की जानी चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 19/2016 और अन्य सदृश्य मामलों में निर्देशित किया गया था जिसे एल.पी.ए. संख्या 168/2017 में बरकरार रखा गया है।

34. इन अपीलों का निपटारा एल.पी.ए. संख्या 203/2022 में पारित निर्णय और अन्य सदृश मामलों के अनुसार किया जाता है, साथ ही ऊपर उल्लिखित स्पष्टीकरण/निर्देश भी दिए जाते हैं।

35. यदि कोई लंबित अंतरिम आवेदन है तो उसे बंद कर दिया गया है।

(कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर (ए.सी.जे.)

सहमत।

(श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.)

(न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांकित:
Binit/Amit
A.F.R.

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।